



Neutral Citation No.2026:AHC-LKO:21528

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

आवेदन सं. - 1085 वर्ष 2026, अं./धा. 528 भा.ना.सु.सं.

अभिमन्यु सिंह यादव एवं एक अन्य

..... आवेदक (गण)

बनाम

उ. प्र. राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, गृह विभाग लखनऊ,
एवं एक अन्य

..... विरोधी पक्षकार (गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता : अजय माधवन, सरनाम सिंह

विरोधी पक्षकार (गण) के अधिवक्ता : शा.अ.

न्यायालय सं. -16

माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह

1. आवेदकगण के विद्वान् अधिवक्ता और राज्य की ओर से विद्वान् अ.शा.अ. को सुना और

अभिलेख का परिशीलन किया।

2. प्रस्तुत आवेदन, भा.दं.सं. की धारा 504 एवं 506 और धारा 3(2)(Vक), अ.जा./अ.ज.जा.

अधिनियम, पुलिस थाना हसनगंज, जिला उन्नाव के अधीन, विशेष न्यायाधीश, अ.जा./अ.ज.जा.

अधिनियम, उन्नाव के न्यायालय में लंबित, अपराध सं. 33 वर्ष 2025 में दाखिल आरोप-पत्र

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



दिनांक 22.02.2025 से उत्पन्न संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही निरस्त करने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।

3. आवेदकगण के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदकगण के विरुद्ध कोई अपराध प्रकट नहीं होता है, और वर्तमान अभियोजन विद्वेषपूर्ण आशय से, केवल परेशान करने के प्रयोजन से संस्थित किया गया है।

4. इसके विपरीत, विद्वान् अ.शा.अ. ने प्रतिवाद किया है कि प्र.सू.रि. में किए गए अभिकथनों से प्रथमदृष्ट्या आवेदकगण के विरुद्ध अपराध बनता है। आवेदकगण की निर्दोषिता का न्यायनिर्णयन विचारण-पूर्व प्रक्रम पर नहीं किया जा सकता है। इसलिए, आवेदकगण किसी प्रकार के अनुग्रह के लिए अधिकृत नहीं हैं।

5. अभिलेख पर सामग्री के परिशीलन से, वाद के तथ्यों पर विचार करते हुए और अधिवक्ता द्वारा किए गए तर्कों पर विचार करने के बाद, ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि आवेदकगण के विरुद्ध कोई अपराध बनता है।

6. आदेशिका जारी करने के प्रक्रम पर, अवर न्यायालय से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वह अभिलेख पर प्रस्तुत सामग्री की विस्तृत परीक्षा और मूल्यांकन करे, केवल यह देखना जना है

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



कि क्या प्रथमदृष्ट्या कोई संज्ञेय अपराध प्रकट होता है या नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने, निम्नलिखित मामलों:- (i) आर. पी. कपूर बनाम पंजाब राज्य, ए आई आर 1960 एस सी 866, (ii) हरियाणा राज्य बनाम भजनलाल, 1992 एस सी सी (क्रि) 426, (iii) बिहार राज्य बनाम पी. पी. शर्मा, 1992 एस सी सी (क्रि) 192 और (iv) इंडू फार्मास्यूटिकल वर्क्स लि. बनाम मोह. सराफुल हक एवं अन्य, (पैरा 10) 2005 एस सी सी (क्रि) 283, में दिशानिर्देश भी प्रतिपादित किए हैं, जहां उच्च न्यायालय अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपराधिक कार्यवाही में हस्तक्षेप कर सकता है और उन्हें अपास्त कर सकता है।

7. उपर्युक्त विनिश्चयों से, सर्वोच्च न्यायालय ने आरंभिक प्रक्रम में ही कार्यवाहियां अपास्त करने के बारे में विधिक स्थिति निर्धारित की है। न्यायालय द्वारा लागू किया जाने वाला परीक्षण है कि क्या अविवादित अभिकथन, जैसे किए गए हैं, प्रथमदृष्ट्या अपराध स्थापित करते हैं, और क्या अंतिम दोषसिद्धि की संभावना बहुत कम है, और क्या आपराधिक कार्यवाही जारी रखने से कोई लाभप्रद प्रयोजन पूर्ण होने की संभावना नहीं है। एस. डब्ल्यू. पालनकट्टकर एवं अन्य बनाम बिहार राज्य, 2002 (44) ए सी सी 168 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत किया गया है कि आपराधिक कार्यवाही अपास्त करना, नियम नहीं, एक अपवाद है। धारा 482, दं.प्र.सं. के अधीन उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियां स्वतः, तीन परिस्थितियां परिकल्पित करती है, जिनमें अंतर्निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया जा सकता है:- (i) संहिता के अधीन दिए

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”

गए किसी आदेश को लागू करने के लिए; (ii) न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग रोकने के लिए; (iii) अन्यथा न्याय सुरक्षित करने के लिए। उच्च न्यायालय की शक्ति बहुत व्यापक है, किन्तु वास्तविक और सारवान् न्याय करने के लिए, जिसके लिए ही न्यायालय का अस्तित्व है, बहुत सावधानी से प्रयोग किया जाना चाहिए।

8. उच्च न्यायालय कोई जांच आरंभ नहीं करेगा, क्योंकि यह कार्य विचारण न्यायाधीश/न्यायालय का है। उपलब्ध में, आरोप-पत्र/आपराधिक कार्यवाही अपास्त करने के आरंभ में हस्तक्षेप करना, आपवादिक नहीं कहा जा सकता है क्योंकि यह प्रथमदृष्ट्या किसी अपराध का कारित किया जाना प्रकट करता है। परिणामतः, अपास्त करने की प्रार्थना अस्वीकृत की जाती है। आवेदकगण को उपयुक्त प्रक्रम पर अपनी सभी आपत्तियां उठाने का पर्याप्त अवसर है।

9. माननीय उच्चतम न्यायालय ने सतेन्द्र कुमार अंतिल बनाम केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो एवं अन्य: (2021) 10 एस सी सी 773 के वाद में, निम्नलिखित संप्रेक्षित करने की कृपा की है:

"3. हम इन दिशानिर्देशों को स्वीकार करने और अवर न्यायालय के लाभ के लिए उन्हें

न्यायालय के आदेश का हिस्सा बनाने के इच्छुक हैं। दिशानिर्देश इस प्रकार हैं:

"अपराधों की श्रेणियां/प्रकार

क) 7 वर्ष या उससे कम कारावास से दंडनीय अपराध, जो श्रेणी ख और घ में नहीं आते

हैं।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



ख) मृत्युदंड, आजीवन कारावास, या 7 वर्ष से अधिक कारावास से दंडनीय अपराध।

ग) जमानत के लिए कड़े उपबंध अंतर्विष्ट करने वाले, विशेष अधिनियमों के अधीन दंडनीय अपराध, जैसे एन डी पी एस (धारा 37), पी एम एल ए (धारा 45), यू ए पी ए (धारा 43 घ(5)), कंपनी अधिनियम, (धारा 212(6)), आदि।

घ) आर्थिक अपराध, जो विशेष अधिनियमों के अंतर्गत नहीं आते हैं।

अपेक्षित शर्तें

1) अन्वेषण के दौरान गिरफ्तार न किया गया हो।

2) जब कभी बुलाए जाने पर, अन्वेषण अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने सहित, अन्वेषण में पूर्णतः सहयोग किया हो।

(ऐसे अभियुक्त को आरोप-पत्र के साथ भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है (सिद्धार्थ बनाम उ. प्र. राज्य, 2021 एस सी सी ऑनलाइन एस सी 615))

श्रेणी क

आरोप-पत्र/परिवाद दाखिल होने के बाद संज्ञान लेना

क) पहली बार में/अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थिति अनुमत करने सहित, साधारणतः समन जारी करना।

ख) यदि समन तामील होने के बाद भी ऐसा अभियुक्त उपस्थित नहीं होता है, तो

उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए जमानती वारंट जारी किया जा सकता है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



ग) जमानती वारंट जारी होने के बाद भी उपस्थित न होने पर गैर-जमानती वारंट जारी किया जा सकता है।

घ) यदि अभियुक्त की ओर से गैर-जमानती वारंट के निष्पादन से पहले, अभियुक्त के सुनवाई की अगली दिनांक/दिनांकों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए वचनबंध पर ऐसा आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, अभियुक्त की व्यक्तिगत उपस्थिति पर बल दिए बिना, गैर-जमानती वारंट को जमानती वारंट/समन में बदला जा सकता है।

ङ) ऐसे अभियुक्त के उपस्थित होने पर, जमानत आवेदनों का विनिश्चय, उसे शारीरिक अभिरक्षा में लिए बिना किया जा सकता है, या जमानत याचिका पर विनिश्चय होने तक उसे अंतरिम जमानत प्रदत्त की जा सकती है।

श्रेणी ख/घ

जारी आदेशिका के अनुसरण में अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थित होने पर, जमानत आवेदन उसके गुण/वगुण के आधार पर विनिश्चित किया जाएगा।

श्रेणी ग

श्रेणी ख और घ के समान, किन्तु इसमें धारा 37, एन डी पी एस, धारा 45, पी एम एल ए , धारा 212(6), कंपनी अधिनियम, धारा 43घ(5), यू ए पी ए, पॉस्को आदि के अधीन जमानत के उपबंधों के पालन की अतिरिक्त शर्त के साथ।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”

4. यह कहना अनावश्यक है कि श्रेणी क, पुलिस वाद और परिवाद वाद, दोनों से संबंधित है।

5. विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय, जमानत आवेदनों पर विचार करते समय उपर्युक्त दिशानिर्देशों को ध्यान में रखेंगे। विद्वान् ए एस जी ने एक आपत्ति की है कि जहां अभियुक्त ने अन्वेषण में सहयोग नहीं किया है, न ही अन्वेषण अधिकारियों के समक्ष उपस्थित हुआ है, और न ही समन का उत्तर दिया है, जब न्यायालय को लगता है कि विचारण की पूर्णता के लिए अभियुक्त की न्यायिक अभिरक्षा आवश्यक है, जहां संभावित बरामदगी सहित अग्रतर अन्वेषण आवश्यक है, उपर्युक्त दृष्टिकोण उन्हें कोई लाभ नहीं दे सकता है, जिससे हम सहमत हैं।

6. हम श्री लूथरा द्वारा प्रस्तुत इस पहलू पर भी विचार कर सकते हैं कि जमानत पर विचार करने के लिए नोटिस जारी करते समय, विचारण न्यायालय को अन्वेषण के दौरान अभियुक्त के आचरण को, जो गिरफ्तारी अधिकृत नहीं करता है, ध्यान में रखते हुए अंतरिम जमानत देने से नहीं रोका जा सकता है। इस पहलू पर भी हम अपनी स्वीकृत देते हैं, और स्वाभाविक रूप से, जमानत आवेदन पर अंतिम रूप से विचार किया जाएगा, वह विधिक उपबंधों द्वारा दिशानिर्देशित होगी।"

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



10. इस प्रकार, वाद के गुण व गुण पर कोई टिप्पणी किए बिना, आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत वर्तमान आवेदन इन निबंधनों में अंतिम रूप से **निस्तारित** किया जाता है कि आवेदकगण आज से 30 दिन के भीतर विचारण न्यायालय के समक्ष धारा 439, दं.प्र.सं. के अधीन एक उपयुक्त, नियमित जमानत आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं, और यदि ऐसा आवेदन एतदुपर्युक्त दी गई अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जाता है, तो विचारण न्यायालय का यह दायित्व होगा कि वह लोक अभियोजक को सुनने के पश्चात्, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **सतेंद्र कुमार अंतिल (उपर्युक्त)** में प्रतिपादित विधि के अनुसरण में, कठोरता से उस आवेदन का निस्तारण करे।

मार्च 25, 2026

मयंक

(न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”